

न्यायालय जिला कलक्टर (आरबीट्रेटर), सिरौही
बईजलास श्री रोहिताश्व सिंह तोमर, आई.ए.एस.

प्रार्थना-पत्र संख्या 05 / 2022

प्रार्थी

1. श्री मूलाराम पुत्र श्री दानाजी जाति जागिड ब्राह्मण निवासी नया सानवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।

बनाम

विपक्षीगण

1. सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट), पिण्डवाडा जिला सिरौही।
2. नेशनल हाईवे ऑथोरिटी जरिये प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इन्डिया पाली जिला पाली।

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी)(5) नेशनल हाईवे एक्ट 1956
सपठित आरबीट्रेशन एण्ड कन्सीलेशनरल एक्ट, 1996

उपस्थिति :-

1. श्री प्रमोद कुमार दवे, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री नरेन्द्रसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

:: निर्णय ::

दिनांक : 10.06.2026

प्रार्थी ने यह प्रार्थना-पत्र धारा 3(जी) (5) नेशनल हाईवे एक्ट के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा द्वारा मौजा नया सानवाडा पटवार हल्का नया सानवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही के खसरा संख्या 1098 की भूमि को नेशनल हाईवे हेतु अवाप्त कर उक्त भूमि के दिए गए मुआवजे से असहमत होकर यह प्रार्थना पत्र आरबीट्रेशन एण्ड कन्सीलेशनरल एक्ट 1996 के तहत आरबीट्रेशन की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गए, जिस पर अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह राजपुरोहित ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई। प्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि प्रार्थी की गांव सानवाडा मे आबादी खसरा संख्या 1098 की आवासीय प्रयोजनार्थ रुपान्तरित करवायी हुई भूमि आयी हुई थी, जो अप्रार्थी ने अवाप्त की है। यह कि राजस्व रेकॉर्ड में खसरा संख्या 1098 की उक्त भूमि आबादी हेतु भूमि रुपान्तरण तहसीलदार पिण्डवाडा से 500 वर्गमीटर का करवाया गया था उक्त आबादी भूमि में से अप्रार्थीगण ने 0.0047 हेक्टेयर भूमि अवाप्त करना बताया है, परन्तु मौके पर ज्यादा भूमि अवाप्त की है। उक्त एवार्ड से प्रार्थी संतुष्ट नहीं है। यह कि प्रार्थी ने अपनी अवाप्तशुदा आबादी भूमि का मुआवजा प्राप्त करने के लिये सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपनी ओर से क्लेम प्रस्तुत किया था। क्लेम में वर्णित तथ्यों व उस पर की गई चर्चा व बहस को सक्षम प्राधिकारी ने कन्सीडर नहीं किया है, जिससे एवार्ड जारी करने मे भारी त्रुटी की

.....पेज नं. 02 पर

आरबीट्रेटर

जिला कलक्टर, सिरौही

है। यह कि प्रार्थी द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत क्लेम व प्रलेखों को इस आवेदन का अंग माना जावे व श्रीमान के यहां मंगवाया जाकर प्रकरण में सम्मिलित किया जावे। अवाप्तशुदा भूमि नेशनल हाईवे नम्बर 14 पर स्थित है, जिसका बाजार मूल्य 500/- रुपये वर्गफीट है तथा कांटो की बाड का मुआवजा का अभी निर्धारण नहीं किया है। यह कि उपरोक्त आबादी भूमि की दर सन् 2009 की डी.एल.सी. दर से कृषि भूमि का मुआवजा दिया है, जो गलत है। आबादी भूमि में रुपान्तरण होने के बावजूद भी रिकॉर्ड में आबादी नहीं उतरी है, उससे मात्र आबादी भूमि का मुआवजा नहीं देकर भारी भूल की है। मौके पर प्रार्थी की करीब 1500 वर्गफीट भूमि अवाप्त की है, जिसका मुआवजा मात्र 4,684/- ही मुआवजा अदा किया है। यह कि अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजे पर 30 प्रतिशत की दर से सोलेटियम की राशि दिलाई जानी चाहिये। यह कि प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा 500/- रूपए प्रति वर्गफीट की दर से 1500 वर्गफीट का 7,50,000/- रूपए व कांटों की बाड का मुआवजा 25,000/- रूपए बनता है, जिस पर 30 प्रतिशत सोलेटियम की राशि 2,23,000/- रूपए जोड कर कुल मुआवजा राशि 9,98,000/- रूपए बनता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा 30 प्रतिशत सोलेटियम राशि को जोडते हुए 9,98,000/-रूपए में से अदा की गई रकम घटा कर शेष राशि पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित भुगतान करने के आदेश फरमावें।



अप्रार्थी संख्या एक सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), पिण्डवाडा द्वारा प्रस्तुत आवेदन में यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी की भूमि नया सानवाडा के खसरा नंबर 1098 की किस्म बारानी-1 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। प्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 1098 भूमि अवाप्ति के वक्त जमाबंदी में कृषि भूमि बारानी-1 दर्ज थी, न कि आबादी भूमि दर्ज थी तथा प्रार्थी की भूमि आवश्यकता से अधिक नहीं ली गयी है। यह कि प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि मौके की सर्वे रिपोर्ट एवं मूल्यांकन के आधार पर मुआवजा राशि तय की गयी है तथा क्लेम में प्रस्तुत सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुये अवार्ड जारी किया गया है। यह है कि प्रार्थी की मुआवजा राशि भूमि अवाप्ति की प्रथम उद्घोषणा के समय प्रभावी डी.एल.सी दर के अनुरूप ही की गयी है तथा मुआवजा राशि वर्ष 2009 को प्रभावी डीएलसी दर के आधार पर ही तय किया गया था। प्रार्थी की रुपान्तरित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज नहीं होने से कृषि भूमि का मुआवजा निर्धारण किया है, जो सही था। यह कि हाईवे एक्ट में 30 प्रतिशत सोलेटियम दिये जाने का प्रावधान नहीं है। प्रार्थी को तत्समय राजस्व रिकॉर्ड में भूमि की दर्ज किस्म अनुसार अवार्ड पारित किया गया है, जो नियमानुसार है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि मुआवजा राशि भूमि की प्रकृति के अनुसार डीएलसी दर से दिया गया है जो सही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमावें।

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह राजपुरोहित द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि मौजा नया सानवाडा के खसरा संख्या- 1098 का सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), पिण्डवाडा द्वारा मुआवजा राशि का अवार्ड जारी करने में किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं की गई है। यह कि उक्त भूमि का धारा 3(क) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को उक्त भूमि की किस्म का जो बाजार मूल्य था वह दे दिया गया है तथा उसका अवार्ड प्रार्थी द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आक्षेपों का कानूनन अवाप्तशुदा भूमि की किस्म मुताबिक

अधिकृत मूल्यांकर्ता की रिपोर्ट के मुताबिक एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त मौखिक एवं दस्तावेज का अवलोकन कर अवार्ड पारित किया गया है, जो विधि अनुसार है। यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत क्लेम को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त क्लेम का भूमि अवाप्ति अधिसूचना की दिनांक को भूमि की किस्म के मुताबिक अवार्ड जारी किया गया है, जो विधि अनुसार एवं कानूनन है। प्रार्थी की अवाप्तशुदा जमीन बाबत नोटिफिकेशन धारा 3(ए) के तहत जिस दिनांक को जारी किया गया उस दिनांक को भूमि की किस्म एवं उक्त भूमि बाबत उसका स्वामित्व तथा पॉलिसी परिपत्र के अनुसार जितना मुआवजा देय होना चाहिए, उतना मुआवजा प्रार्थी को दे दिया गया है। साथ ही नोटिफिकेशन धारा 3(ए) के बाद यदि किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो प्रार्थी अलग से मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है। यह कि अप्रार्थीगण द्वारा अधिकृत योग्यता धारी वैल्यूवर द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें उक्त अवाप्तशुदा जमीन पर स्थित निर्माण एवं भूमि किस्म का संपूर्ण रूप से निर्धारण किया गया है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा सन् 2009 की डीएलसी पर दी गई है, जो विधि अनुसार एवं कानूनन है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह कि विधि की मंशा अनुसार धारा 3 (जी)(5) में वर्णित मापदंड के अनुसार भूमि अवाप्ति की अधिसूचना दिनांक को बाजार मूल्य के अनुसार मुआवजा तय किया, जो प्रार्थी को दे दिया है, जिसे प्रार्थी द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया है। अब कोई मुआवजा शेष नहीं है। यह कि प्रार्थी द्वारा अपने जमीन को किस्म के विपरीत उपयोग में लिया जा रहा था, जो कानून के विरुद्ध है तथा अब मनमाफिक तरीके से उक्त जमीन बाबत क्लेम करना विधि अनुसार नहीं है। इसलिए भी अवार्ड में किसी प्रकार का हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह कि प्रार्थी की जमीन पर स्थित निर्माण बाबत एवं मुआवजा वैल्यूएशन रिपोर्ट के आधार पर संपूर्ण मानक के मध्यनजर रखते हुए तय किया गया है। तथा मुआवजा निर्धारण अधिसूचना धारा 3(ए) के तहत भूमि का वास्तविक आंकलन कर तथा दस्तावेजों को मध्य नजर रखते हुए तथा पॉलिसी परिपत्र के आधार पर तय किया गया है। मौके की व राजस्व अभिलेख के इन्द्राज के आधार पर अवाप्त भूमि की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 3ए के प्रकाशन दिनांक को प्रभावित बाजार दर के आधार पर अवार्ड पारित किया गया है, जिसमें वृद्धि व संशोधन किए जाने की कोई भी अतिरिक्त साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। यह कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए में उदघोषणा जारी कर अवाप्त होने वाली भूमि का पूर्ण विवरण दर्ज रहा है। उक्त अधिनियम में धारा 3सी के तहत आपत्तियां आमंत्रित की गई थी और समस्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए पूर्ण अवसर प्रदान कर अधिनियम की धारा 3डी के तहत अवाप्त अधिसूचना जारी की गई। उक्त समस्त कार्यवाहियों के अनुक्रम में प्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत किए जाने का पूर्ण समुचित विधिक अवसर प्रदान किया गया। ऐसी दशा में समुचित अवसर देकर पारित आदेश पूर्णतया विधि संगत है। यह कि लोक प्रयोजन के लिए किसी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु किसी भूमि की आवश्यकता होने पर राजपत्र के अधिसूचना द्वारा भूमि अर्जन की घोषणा करने के बाद तथा निरीक्षण, सर्वेक्षण, नापजोख, मूल्यांकन व जांच की जाती है तथा भूमि के हितबद्ध व्यक्ति द्वारा धारा 3(के) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के 21 दिन के भीतर आक्षेप धारा अंतर्गत 3(ग) द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। तत्पश्चात सक्षम अधिकारी द्वारा उन प्रस्तुत आक्षेपों का निस्तारण करने के बाद भूमि अर्जन की घोषणा धारा 3(घ) के अंतर्गत की जाती है तथा केंद्रीय सरकार द्वारा की गई घोषणा को किसी न्यायालय में या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। यह कि

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3जे में स्पष्ट प्रावधान है कि उक्त अधिनियम के तहत अवाप्त भूमि के सम्बन्ध में सोलेटियम के तहत किसी भी तरह की अदायगी मुआवजा बाबत विधिक प्रावधान ही नहीं है, जिसके विपरीत प्रार्थी द्वारा सोलेटियम व ब्याज क्लेम करना कानूनी आधारहीन है। साथ ही प्रार्थी द्वारा वर्णित कथन व मुआवजा गणना विधिक प्रावधानों के विपरीत होकर केवल मात्र काल्पनिक आधारों पर मुआवजा राशि की गणना की गई है, जिसे प्राप्त करने की अधिकारिता प्रार्थी को प्राप्त नहीं है। यह है कि सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जो भी अभिलेख व तथ्य प्रस्तुत हुए उनका विधि संगत निस्तारण करते हुए अवार्ड पारित किया गया, जिसमें किसी भी तरह की तथ्यात्मक या विधिक त्रुटि नहीं रहीं है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए के विधिक प्रावधानों के तहत अधिसूचना प्रकाशित होकर आपत्तियां आमंत्रित की गईं और अधिनियम की धारा 3सी के तहत आपत्तियों को निस्तारण किया जाकर अधिनियम की धारा 3डी के अनुसार उद्घोषणा जारी की गई, समस्त कार्यवाहियां विधिक प्रावधानों के तहत पूर्ण की गईं, जिसमें प्रार्थीगण को सम्पूर्ण अवसर प्रदान कर आपत्तियों का निस्तारण किया गया। अतः प्रार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का सम्पूर्ण अवसर दिया जाकर आपत्तियों का निस्तारण करते हुए विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत ही अवार्ड पारित किया गया है, जिसमें वृद्धि व संशोधन किए जाने का कोई अतिरिक्त साक्ष्य नहीं है। यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए की अधिसूचना की दिनांक को जो बाजार दर रही है उसी अनुसार अवाप्त भूमि का मुआवजा अदा किया जाने का प्रावधान है। साथ ही धारा 3ए की अधिसूचना की दिनांक के बाद यदि किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व, स्वामित्व में परिवर्तन होता है तो उस बाबत अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी नहीं है। यह कि भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधान प्रार्थी पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि उक्त अवार्ड प्रार्थी राशि दिनांक 13.12.2014 से पूर्व ही प्रार्थी को दे दी गई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना फरमावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया एवं पत्रावली के अवलोकन के उपरान्त न्यायालय का मत है कि मौजा नया सानवाडा पटवार हल्का नया सानवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के खसरा संख्या 1098 की भूमि में से 0.0047 हैक्टेयर भूमि सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) पिण्डवाडा द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु अवाप्त की गई थी एवं प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि राजस्व अभिलेख में किस्म बारानी-1 दर्ज थी। प्रार्थी अधिवक्ता का तर्क है कि मौजा नया सानवाडा के खसरा संख्या 1098 की भूमि में से 500 वर्गमीटर भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा जरिए आदेश क्रमांक/राजस्व /09/269-73 दिनांक 04.08.2009 के द्वारा प्रार्थी श्री मूला पुत्र श्री दाना के हक में किए जाने के उपरान्त भी उक्त भूमि का मुआवजा कृषि भूमि मानकर दिया गया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थी अधिवक्ता का यह कथन सत्य है कि मौजा नया सानवाडा के खसरा संख्या 1098 की भूमि में से 500 वर्गमीटर भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा जरिए आदेश क्रमांक/राजस्व/09/269-73 दिनांक 04.08.2009 के द्वारा किया गया था, लेकिन प्रार्थी की उक्त भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ सम्बन्धी नामान्तरकरण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया था। प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 1098 का आवासीय संपरिवर्तन आदेश दिनांक 04.08.2009 को जारी होने से

.....पेज नं. 05 पर

लेकर अवाप्त होने तक आवासीय प्रयोजनार्थ से सम्बन्धित नामान्तरकरण दर्ज करवाने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही की गई हो, ऐसा किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है और न ही इस सम्बन्ध में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा किसी प्रकार का कोई कथन किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट नहीं है कि प्रार्थी की कृषि भूमि को सक्षम प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा द्वारा अवाप्त किया गया है या संपरिवर्तित भूमि को। क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधानानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग से 40 मीटर तक की भूमि संपरिवर्तित ही नहीं हो सकती है। अतः इससे यह प्रतीत होता है कि सक्षम प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा द्वारा प्रार्थी की कृषि भूमि को ही अवाप्त किया गया है। चूंकि भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित उद्घोषणा के समय उपरोक्त वर्णित अवाप्ताधीन भूमि की किस्म राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार कृषि बारानी-1 दर्ज थी। यानिकी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए की उद्घोषणा जारी की गई थी, उस दिन अवाप्त होने वाली भूमि का पूर्ण विवरण दर्ज रहा है, जो कृषि बारानी-1 थी। प्रार्थी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए की उद्घोषणा जारी होने पर सक्षम प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की, जिस पर विधिवत् सुनवाई की जाकर तत्समय में उक्त भूमि की किस्म बारानी-1 दर्ज होने एवं आवासीय संपरिवर्तन के सम्बन्ध में राजस्व रेकॉर्ड पर कोई इन्द्राज नहीं होने से प्रार्थी को उपरोक्त वर्णित भूमि का आवासीय भूमि मानकर मुआवजा देय नहीं किया गया। प्रार्थी की उक्त भूमि बाबत् जो अधिसूचना राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए के तहत जिस दिनांक को जारी की गई थी उस दिनांक को प्रार्थी का उक्त भूमि पर स्वत्व, स्वामित्व बाबत् दस्तावेज का पूर्ण अवलोकन कर एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण कर एवं सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर उक्त मुआवजे का निर्धारण किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए की अधिसूचना जारी होने की दिनांक के बाद यदि किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व, स्वामित्व में परिवर्तन होता है तो उस बाबत् अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी नहीं है। अभिलेख एवं अधिसूचना अनुसार भूमि की किस्म कृषि बारानी-1 है। ऐसी स्थिति में यदि बाद में प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत करवाया भी जाता है तो राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अनुसार उसका मुआवजा देय नहीं है, जिसके आधार पर भी प्रार्थी अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा आवासीय दर से प्राप्त करने की अधिकारिता नहीं रखता है। अतः राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए के तहत अधिसूचना प्रकाशन की तिथि को रही भूमि की किस्म के आधार पर ही विधिक प्रावधानानुसार प्रार्थी मुआवजा प्राप्त करने की अधिकारिता रखता है, जिसका भुगतान प्रार्थी द्वारा बिना किसी आपत्ति के प्राप्त कर लिया गया है। जहां तक प्रार्थी अधिवक्ता का उक्त अवाई पर सोलेशियम की राशि दिए जाने का कथन है। इस सम्बन्ध में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा P.Rajamani V/s. Union of India में पारित निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत सोलेशियम की राशि देय नहीं है। मूल्यांकन प्रतिवेदन अधिकारी द्वारा अपनी वेल्थुवेशन रिपोर्ट विधिक आधार पर ही तैयार की गई है, जिस पर किसी भी प्रकार की कोई संदिग्धता नहीं की जा सकती है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर

.....पेज नं. 06 पर

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अभिलेखों की रोशनी में स्वीकार योग्य नहीं पाए जाने से निरस्त किया जाता है। मुआवजा राशि में किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि किए जाने का आधार नहीं होने से प्रार्थी का क्लेम निरस्त किया जाता है।



निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलेक्टर, (आरबीट्रेटर)
सिरोही (राज0)